

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय/संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल/
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक 09.4.2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702- लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जाँच	4351.550

कुल आवंटित राशि - रुपये तैंतालीस करोड़ एक्यावन लाख पचपन हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध ₹ 9517.52 लाख (पंचानबे करोड़ सत्रह लाख बावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

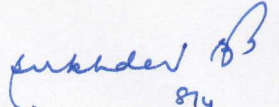
(ऑकार नाथ)
सहा. अभि.

(मुक्ति संधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

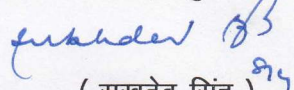
अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 06

रॉची, दिनांक :- 9.4.16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा / जमशेदपुर/ सरायकेला/ चाईबासा/ गुमला/ खूंटी/ सिमडेगा/ लातेहार/ लोहरदगा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ हुसैनाबाद/ चतरा/ हजारीबाग/ रामगढ़/ कोडरमा/ गिरिडीह/ धनबाद/ बोकारो/ देवघर/ दुमका/ गोड्डा/ पाकुड़/ साहेबगंज/ जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 06

रॉची, दिनांक :- 09.4.16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

भाग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02 भूजल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच

पत्रांक: ४६ दिनांक: ०९.०९.१६ का अनुलग्नक

पशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2016-2017		विरुद्ध शीर्ष-01-वैतन एवं भत्ते		विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क0 सं0	कार्यालय का नाम	वैतन	एलएटी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रियाया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रकार	कुल योग	अभियुक्ति							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14							
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	14.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.60	0.00	15.30								
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, सैंदी	122.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.60	0.00	123.30								
3	योजना मॉनेटरिंग एवं आयोजन अंचल-3, सैंदी	37.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	38.10								
4	लघु सिंचाई अंचल-चाईबासा	16.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.50	0.00	16.95								
5	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	60.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.50	0.00	61.00								
6	लघु सिंचाई अंचल, देवघर	15.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.50	0.00	16.00								
7	लघु सिंचाई अंचल-मेदिनीनगर	31.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.50	0.00	32.00								
8	लघु सिंचाई अंचल-सैंदी	59.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.50	0.00	60.00								
9	लघु सिंचाई अंचल-हजारीबाग	53.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.50	0.00	54.00								
10	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल,दुमका	28.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	28.80								
11	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-सैंदी	146.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	146.85								
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोडरमा	109.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	109.85								
13	लघु सिंचाई प्रमंडल-छूटी	191.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	191.85								
14	लघु सिंचाई प्रमंडल-गढ़वा	95.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	95.85								
15	लघु सिंचाई प्रमंडल-मिशेडिह	117.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	117.85								
16	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	173.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	173.85								
17	लघु सिंचाई प्रमंडल-गोड्डा	166.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	166.85								
18	लघु सिंचाई प्रमंडल-चतरा	109.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	109.85								
19	लघु सिंचाई प्रमंडल-चाईबासा	141.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	141.85								
20	लघु सिंचाई प्रमंडल-जमशेदपुर	185.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	185.85								
21	लघु सिंचाई प्रमंडल- जामताड़ा	121.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	121.85								
22	लघु सिंचाई प्रमंडल-दुमका	261.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	261.85								

(ऑफिकर नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौधुरिया)
उप सचिव (अभियंता)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2016-2017	विरपुल शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विरपुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरपुल शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरपुल शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
		वेतन	एलाटी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रकार	कुल योग	अभियुक्ति						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14						
23	लघु सिंचाई प्रमंडल- धनबाद	131.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	131.85							
24	लघु सिंचाई प्रमंडल-पाकुड़	136.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	136.80							
25	लघु सिंचाई प्रमंडल-बोकारो	126.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	126.85							
26	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	96.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	96.85							
27	लघु सिंचाई प्रमंडल-रामगढ़	129.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	129.85							
28	लघु सिंचाई प्रमंडल-रौंघी	244.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	244.85							
29	लघु सिंचाई प्रमंडल-लातेहार	91.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	91.85							
30	लघु सिंचाई प्रमंडल-लोहरदगा	101.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	101.85							
31	लघु सिंचाई प्रमंडल-सरायकेला	113.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	113.85							
32	लघु सिंचाई प्रमंडल-साहेबांज	141.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	141.85							
33	लघु सिंचाई प्रमंडल-सिमडेगा	110.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	110.85							
34	लघु सिंचाई प्रमंडल-हजारीबाग	118.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	118.85							
35	लघु सिंचाई प्रमंडल-हुसैनाबाद	88.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	88.85							
36	लघु सिंचाई रूपकण एवं मोनेटरिंग प्रमंडल, दुमका	13.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	13.85							
37	लघु सिंचाई रूपकण प्रमंडल-दुमका, शिविर देवघर	130.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	130.85							
38	लघु सिंचाई रूपकण प्रमंडल, रौंघी	143.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	143.85							
39	निदेशक , भुवनेश्वर जल निदेशालय, रौंघी	20.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	20.90							
40	भुवनेश्वर जल सर्वेक्षण प्रमंडल-दुमका	24.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	24.80							
41	भुवनेश्वर जल सर्वेक्षण प्रमंडल-रौंघी	74.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	74.85							
42	भुवनेश्वर जल सर्वेक्षण प्रमंडल-हजारीबाग	37.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	37.80							
	कुल आवंटन -	4314.00	0.00	8.60	8.95	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	17.90	0.00	4351.55							

कुल आवंटित राशि-

रु० तैनातीस करोड़ इय्यावन लाख पचपन हजार मात्र

(ऑफर नाथ)
सहायक अभियंता(मुक्ति सोहन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)
9.4.16(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव